जनपद गाजीपुर, उ0प्र0

प्रेस नोट, दिनांक 06.09.2020

दिनांक 02.07.2020 को थाना जमानियां क्षेत्र में हुई देशी शराब की दुकान के सैल्समैन की हत्या में शामिल मुख्य वांछित अभियुक्त एंव 25,000 इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी।

मु0अ0सं0 213/20 धारा 302/120बी भा0द0वि0 थाना-जमानियां,गाजीपुर

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद-गाजीपुर के द्वारा अपराध एंव अपराधियो के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के कुशल निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी जमानियां के मार्गदर्शन में दिनांक 06.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 राजीव कुमार त्रिपाठी ,उ0नि0 सेनापति सिंह, हे0कां0 अनिल सिंह के साथ मु0अ0सं0 213/20 धारा 302/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त अमित चन्द उर्फ रोशन पुत्र सुरेश बिन्द नि0 ग्राम कसेरा पोखरा थाना जमानियां जनपद गाजीपुर ,जो दिनांक 02.07.2020 को समय 05.45 बजे अवैध शराब के क्रय बिक्रय की मांग किये जाने पर देशी शराब ठेका सराय मुरादअली जमानियां की दुकान के सेल्समैन मृतक कन्हैया पुत्र अनिल सिंह नि0 बमौरा थाना विद्यापति नगर समस्तीपुर बिहार के द्वारा शराब देने से इनकार किये जाने पर धारदार हथियार से वार कर अपने साथी रामप्रवेश बिन्द पुत्र कवलवास निवासी भैदपुर थाना जमानियां,गाजीपुर के साथ कर के फरार हो गया था। हत्या में शामिल रामप्रवेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मुख्य आरोपी अमित चन्द उर्फ रोशन पुत्र सुरेश बिन्द हत्या करने के बाद भागकर महाराष्ट्र चला गया था जहां पर छुपकर रह रहा था। जिसके गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इनाम घोषित किया गया था। उच्चाधिकारीगण के दिशानिर्देशन में जमानियां पुलिस द्वारा थाना शाहपुर थाणे (मुंबई) से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमित चन्द उर्फ रोशन पुत्र सुरेश बिन्द नि0 ग्राम कसेरा पोखरा थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 213/20 धारा 302/120बी भादवि थाना जमानियाँ जनपद गाजीपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह

2.उ0नि0 सेनापति सिंह

3.उ0नि0 राजीव कुमार त्रिपाठी

4.हे0कां0 अनिल सिंह

5.कां0 गोविन्द निर्मल

6.कां0 बलवन्त सिंह